UPBB010065942021

न्यायालय**: विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**,** न्यायालय सं**.04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

आदेश पत्र

दिनांक: 16–07–2024

सत्र परीक्षण प्रस्तुत हुआ। अभियुक्तगण रिंकू उर्फ नन्द किशोर, संगम भास्कर, राजेन्द्र कुमार, मृदुला आनन्द, तूफ़ानीराम एवं रामसिंह का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत। आज हेतु स्वीकृत। डा० विजय एवं अमित कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र 243 ब नियत है। प्रार्थनापत्र 243 ब पर अभियुक्त डा० विजय के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की बहस पूर्व नियत तिथि पर सुनी जा चुकी है।

अभियुक्त डा० विजय की ओर से प्रार्थनापत्र 243 ब इस आशय का दिया गया है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 46 ब कथित घटनास्थल पर लिये गये फोटोग्राफ दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि– "जहांतक फोटोग्राफ का प्रश्न है, चूंकि फोटोग्राफ प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा आज की तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उनको फोटोग्राफ की प्रति भी दिलाया जाना सम्भव नहीं है।" पत्रावली में फर्द चालान दिनांकित 27–02–2015 में एक अदद सीडी० व पांच फोटो मृतक शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा अंकित किया गया है। दौरान जिरह चिकित्सक साक्षी मृतक की जो 10 चोटें दिखायी गयी हैं उनमें से अभी तक लेसरेटेड, कन्ट्यूजन व अबरेडेड कन्ट्यूजन होना अंकित है। हैण्डबुक आन पोस्टमार्टम टेक्नीक जो 463 पृष्ठों का है, के पृष्ठ सं.35 के पैरा 3 में यह अंकित है कि X–ray, video and photograph उपकरण के साथ साथ अन्य उपकरण शव विच्छेदन के समय उपलब्ध होने चाहिए। पुलिस द्वारा पहले ही मौके पर बनायी गयी सीडी० व पांच अदद फोटोग्राफ को इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। निष्पक्ष विचारण व जिरह बिना फोटोग्राफ/ वीडियो सीडी० की अग्रेतर जिरह करना सम्भव नहीं है। उक्त आधारों पर

प्रार्थना की गयी है कि उक्त फोटोग्राफ व सीडी० आवेदक को दिलायी जाये तथा चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य तब तक स्थगित कर दी जाये जबतक आवेदक को उपरोक्त सीडी० एवं फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं करा दिये जायें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि फोटोग्राफ और सीडी० दिलाने के सम्बंध में प्रार्थनापत्र 46 ब बचाव पक्ष की ओर से पूर्व में भी दिया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22–08–2022 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए प्रार्थनपत्र निरस्त किया जा चुका है। इसी प्रकृति के प्रार्थनापत्र 60 ब एवं 62 ब भी दिनांक 09–09–2022 को निस्तारित किये जा चुके हैं। आवेदक द्वारा जानबूझ कर पुनः वाद में विलम्ब कारित करने की मंशा से आधार बदल बदल कर बार बार एक ही प्रकार का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त आधरों पर प्रार्थनापत्र 243 ब निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक डा० विजय की ओर से प्रार्थनापत्र 46 ब अभियोजन प्रपत्र दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22–08–2022 को विस्तृत आदेश पारित किया गया है कि "जहांतक फोटोग्राफ का प्रश्न है, चूंकि फोटोग्राम प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा आज की तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिस कारण उन फोटोग्राफ की प्रति भी दिलाया जाना सम्भव नहीं है। यदि भविष्य में अभियोजन द्वारा फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाते हैं अथवा न्यायालय के आदेश पर प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनकी प्रति समस्त अभियुक्तगण को वाद के ऋजुपूर्ण विचाण के लिये प्राप्त कराये जायेंगें।" डाक्टर विजय की ओर से प्रार्थनापत्र 60 ब एवं 62 ब भी इसी प्रकृति के प्रस्तुत किये गये थे जिनका निस्तारण दिनांक 09–09–2022 को किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष द्वारा आज की तिथि तक फोटोग्राफ एवं सीडी० प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पत्रावली चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 4 डा० बृजेश कुमार श्रीवास्तव की जिरह हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र चिकित्सक साक्षी की जिरह स्थगित करने हेतु दिया गया है और प्रार्थनापत्र में जो आधार लिये गये हैं उन तथ्यों पर दिनांक 22–08–2022 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः उसी बिन्दु को नवीन प्रार्थनापत्र के माध्यम से उठाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से **विधि व्यवस्था सुनीता देवी बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य क्रिमिनल अपील सं.3924 of 2023 निर्णीत दिनांक 17–05–2024 माननीय उच्चतम न्यायालय एवं स्टेट आफ केरला बनाम राशिद क्रिमिनल अपील सं.1321 of 2018 निर्णीत दिनांक 30–10–2018 माननीय उच्चतम न्यायालय** प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त विधि व्यवस्था का मेरे

द्वारा सम्मानपूर्वक परिशीलन किया गया। उपरोक्त विधि व्यवस्था सुनीता देवी बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य क्रिमिनल अपील सं.3924 of 2023 निर्णीत दिनांक 17–05–2024 के पैरा 22 एवं स्टेट आफ केरला बनाम राशिद क्रिमिनल अपील सं.1321 of 2018 निर्णीत दिनांक 30–10–2018 के पैरा 11 में साक्षी की जिरह स्थगित करने के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं परन्तु उनमें से कोई आधार आवेदक/ अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 243 ब में नहीं लिया गया है। अभियोजन द्वारा जो प्रपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत मामले में प्रस्तुत किये गये हैं उन सभी की प्रति प्रत्येक अभियुक्तगण को पूर्व में ही प्राप्त करायी जा चुकी है जिसके पश्चात् से अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के तीन साक्षी पी०डब्लू० 1 शिवम श्रीवास्तव, पी०डब्लू०–2 अर्पितराज श्रीवास्तव, पी०डब्लू०–3 नमन श्रीवास्तव परीक्षित कराये जा चुके हैं एवं उपरोक्त तीनों साक्षियों से बचाव पक्ष द्वारा जिरह भी की जा चुकी है। वर्तमान में पत्रावली मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक साक्षी डा० बृजेश कुमार श्रीवस्तव की जिरह हेतु नियत चल रही है जिनसे अभियुक्त डा० विजय के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जा रही है। अभियुक्त रामसिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी शेष है। शेष अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी डा० बृजेश कुमार श्रीवास्तव से जिरह पूर्ण की जा चुकी है। आपराधिक प्रकृिया में पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र 243 ब विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से दिया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र 243 ब निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 243 ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह साक्षी पी०डब्लू० 4 डाक्टर बृजेश कुमार श्रीवास्तव दिनांक 20–07–2024 को पेश हो। नियत तिथि हेतु साक्षी को सम्मन जारी हो।

दिनांक 16–07–2024

(कमल कान्त श्रीवास्तव **)**
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश(एम.पी. एवं एम.एल.ए.)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।